२२२ 7047 - PDV-16 (105)

पुनरीक्षणकर्ता/क्रेतापक्ष :— लक्ष्मण नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था समिति, इन्दौर

विरूद्ध

15.5.16 प्रत्यर्थीगण :— म.प्र. शासन द्वारा अन्य

पुनरीक्षण याचिका की पुर्नस्थापना हेतु आवेदन

आवेदक की ओर से सविनय निवेदन है कि:—

1. यह कि, इस न्यायालय के समक्ष आवेदक के द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस एवं वरिष्ठ पंजीयक इन्दौर प्रत्यर्थी क्रमांक 1 एवं अन्य के विरूद्ध एक पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करी थी जो कि, दिनांक 21.04.2016 को सुनवाई हेतु नियत थी।

2. यह कि, उक्त पुनरीक्षण याचिका में दिनांक 16.03.2016 को इस न्यायालय द्वारा सुनवाई के पश्चात प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के न्यायालय से रेकार्ड बुलवाने हेतु आदेश जारी किया था। प्रकरण की अगली पेशी दिनांक 21.04.2016 न्यायालय द्वारा नियत की गई थी।

3. यह कि, दिनांक 21.04.2016 आवेदक के अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई के समय उपस्थित नही हो सके तथा देर से पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि, प्रकरण गैर हाजरी में निरस्त कर दिया गया है। यह कि, आवेदक के अधिवक्ता की प्रकरण की सुनवाई के समय की अनुपस्थिति सद्भावनापूर्वक होकर क्षमा किये जाने योग्य है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि, न्याय हित में आवेदक के इस आवेदन को स्वीकृत कर पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 7016/16 को पुर्नस्थापित करने हेतु उचित आदेश पारित करने का कष्ट करें।

इन्दौर, दिनांक 18.05.2016

आवेदक तर्फे अधिवक्ता

संजीव लढ़ा

FIVE RUPEES पाँच रुपए INDIA भारत Rs.5 5 रु.

[illegible] 7047/BBR/16 [illegible]

18-5-2017	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। पूर्व में मूल निगरानी प्रकरण दिनांक 21.5.16 को आवेदक की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में निरस्त हुआ है। आवेदक द्वारा दिनांक 22.6.16 को पुनर्स्थापन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत उपस्थित नहीं हो रहा है। अतः आवेदक की लापरवाही परिलक्षित होने से पुनर्स्थापन आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

अध्यक्ष